* *ई–मेल*
*स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक*

पत्रांक–2ब० / वि०आ०–25–08 / 2021 /न०वि०एवंआ०वि०

# बिहार सरकार
# नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

**राजीव शंकर,**
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

**महालेखाकार,**
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– **15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र मद की वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए भारत सरकार द्वारा "Urban health and wellness centres(UHWCs)" हेतु विमुक्त राशि ₹18488.50 लाख (एक सौ चौरासी करोड़ अठासी लाख** पचास हजार रु०) मात्र अनुदान **की राशि के वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र मद की वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए भारत सरकार के HSG Release No. 198/2025-26 दिनांक–24.03.2026 द्वारा **"Urban health and wellness centres(UHWCs)"** हेतु राशि ₹18488.50 लाख (एक सौ चौरासी करोड़ अठासी लाख पचास हजार रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2025–26 में विमुक्त किया गया है।

2. उक्त के आलोक में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र मद की वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए भारत सरकार द्वारा **"Urban health and wellness centres(UHWCs)"** हेतु विमुक्त राशि ₹18488.50 लाख (एक सौ चौरासी करोड़ अठासी लाख पचास हजार रु०) मात्र अनुदान की राशि के वित्तीय वर्ष 2025–26 में निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

3. उक्त स्वीकृ**त राशि** ₹18488.50 लाख (एक सौ चौरासी करोड़ अठासी लाख पचास हजार रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे।** *जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से **CFMS** के माध्यम से की जायेगी तथा 15वें वित्त आयोग की राशि के लिए **PFMS** से संबद्ध बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना के **Axis Bank, Ramsharan Sonjharo Block, Aparna Complex, Patna, Digha Road, Patna-800011** के खाता नाम–**Central Finance Commissions grants, Buda,** खाता संख्या– **926010005634952, IFSC Code – UTIB0002765** में अंतरित किया जायेगा।* उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक–227, दिनांक– 28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

4. कुल स्वीकृत राशि ₹18488.50 लाख (एक सौ चौरासी करोड़ अठासी लाख पचास हजार रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगीः—

i. कुल स्वीकृत राशि ₹18488.50 लाख में से ₹4907.86 लाख (उनचास करोड़ सात लाख छियासी हजार रु०) मात्र की निकासी मुख्य शीर्ष— 2217—शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष—80—सामान्य, लघु शीर्ष—191—नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष—0017—वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगमों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र कार्यो के लिए सहायक—अनुदान, विपत्र कोड— **48-2217801910017,** विषय शीर्ष—31.05—सहायक अनुदान— परिसम्पतियों के निर्माण मद से राशि ₹2453.93 लाख (चौबीस करोड़ तिरपन लाख तिरानवे हजार रु०) मात्र एवं विषय शीर्ष—31.06—सहायक अनुदान—गैर वेतन मद से ₹2453.93 लाख (चौबीस करोड़ तिरपन लाख तिरानवे हजार रु०) मात्र से निकासी की जायेगी।

ii. कुल स्वीकृत राशि ₹18488.50 लाख में से ₹9710.04 लाख (सत्तानवे करोड़ दस लाख चार हजार रु०) मात्र की निकासी मुख्य शीर्ष— 2217—शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष—80—सामान्य, लघु शीर्ष—192—नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उप शीर्ष—0011—वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र कार्यो के लिए सहायक—अनुदान, विपत्र कोड— **48-2217801920011,** विषय शीर्ष—31.05—सहायक अनुदान— परिसम्पतियों के निर्माण मद से राशि ₹4855.02 लाख (अड़तालीस करोड़ पचपन लाख दो हजार रु०) मात्र एवं विषय शीर्ष—31.06—सहायक अनुदान—गैर वेतन मद से ₹4855.02 लाख (अड़तालीस करोड़ पचपन लाख दो हजार रु०) मात्र से निकासी की जायेगी।

iii. कुल स्वीकृत राशि ₹18488.50 लाख में से ₹3870.60 लाख (अड़तीस करोड़ सत्तर लाख साठ हजार रु०) मात्र की निकासी मुख्य शीर्ष— 2217—शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष—80—सामान्य, लघु शीर्ष—192—नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उप शीर्ष—0012—वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में छावनी परिषद को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र कार्यो के लिए सहायक—अनुदान, विपत्र कोड— **48-2217801920012,** विषय शीर्ष—31.05—सहायक अनुदान—परिसम्पतियों के निर्माण मद से राशि ₹1935.30 लाख (उन्नीस करोड़ पैंतीस लाख तीस हजार रु०) मात्र एवं विषय शीर्ष—31.06—सहायक अनुदान—गैर वेतन मद से ₹1935.30 लाख (उन्नीस करोड़ पैंतीस लाख तीस हजार रु०) मात्र से निकासी की जायेगी।

5. FC-XV recommended health Sector Grant for **'Support for Diagnostic Infrastructure to the primary healthcare facilities for the Urban PHCs'** is intended to be utilized to fully equip the primary health care facilities so that they can provide necessary diagnostic services in Urban areas. States have to ensure that there is no duplication of funding from 15th F.C grant and other Schemes like NHM, PMASBY etc. for the same health care facility/activity.

6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में AC विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह अनुदान है, इसलिए राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता के नियम–270 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०–42 पर किया जायेगा, परन्तु राशि का व्यय राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा, इसलिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराने पर महालेखाकार, बिहार को प्रेषित किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०–573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक–19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०– 2ब०/वि०आ०–25–08/2021 के पृ०–93/टि० पर दिनांक–25.03.26 को प्राप्त है तथा सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति पृ०–93/टि० पर दिनांक–25.03.26 को प्राप्त है।

10. इसकी सूचना संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

ह०/–

**सरकार के संयुक्त सचिव।**

ज्ञापांक–2ब०/वि०आ०–25–08/2021-529/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 25.03.2026

**प्रतिलिपिः–** आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/वित्त विभाग (15वॉं वित्त आयोग कोषांग)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/विभागीय लेखा शाखा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 06/विभागीय आई०टी०, प्रबंधक, को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**सरकार के संयुक्त सचिव।**